ग्राम पंचायत वासनी, विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत वासनी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान तथा सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती मीना देवी	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्रीमती रानी कुमारी	23.1.2016 से लगातार

सचिवः—

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सोमदत्त तोमर	1.4.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत वासनी के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹) लाखों में
1	6	खाता "ख" से खाता "क" में ब्याज की राशि को अन्तरित न करना	0.19
2	8	गृहकर की शेष वसूली	0.37
3	9	मोबाईल टावर की शेष वसूली	0.06
4	10	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	18.61
5	11	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही स्टोर/स्टॉक का क्रय	1.85
6	12	जे0सी0बी0 चार्जिज का अनियमित भुगतान	2.10

7	13	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि न करना	2.16
8	14	मस्टर रोल्स पर किये गये कार्य की बिना मूल्यांकन व सत्यापन के अदायगी	4.27
9	15	बिलों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित व पारित करवाए बिना अनियमित भुगतान	11.29

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत वासनी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 6.7.2017 से 13.7.2017 तक ग्राम पंचायत वासनी के कार्यालय में किया गया तथा जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2014–15	03/2015	06/2014
2015–16	03/2016	10/2015
2016–17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत वासनी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जीपीआडिट/पच्छाद/2017–18–1 दिनांक 13.7.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत वासनी से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत वासनी के पत्रांक संख्या जी0पी0डब्लू–34/17 (1) दिनांक 27.7.2017 द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 863219 दिनांक 27.7.

2017 से अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत वासनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत वासनी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	–	150745	150745	179641	(–)28896
2015–16	(–) 28896	223142	194246	145587.18	48658.82
2016–17	48658.82	342557.98	391216.80	253588	137628.80 **(परिशिष्ट "च")**

नोटः– ग्राम पंचायत वासनी द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय–व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वः स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयः स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता "क" में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ii) अनुदानः–

ग्राम पंचायत वासनी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	628072.71	2972213	3600285.71	2190600	1409685.71
2015–16	1409685.71	2219775	3629460.71	2154725	1474735.71
2016–17	1474735.71	1749737	3224472.71	1363446.95	1861025.76 **परिशिष्ट "ङ"**

नोटः– रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाए गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.14 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.14 को प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) लिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

(i) रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) वित्तीय स्थिति (रोकड़ बही अनुसार) और बैंक खातों के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेषः–

स्वः स्त्रोत	137628.80
अनुदान	1861025.76
वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष	1998654.56
विभिन्न बैकों पड़ी जमा राशि का शेष	1998654.56
अन्तर	शून्य

विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा

क्र0सं0	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	जमा राशि (₹)
1	HPSC Band, Narag	56010105015	982692.80
2	SBOP, Wasni	65256287421	15052
3	-do-	65263076919	25492
4	-do-	65262481158	962871
5	-do-	65246618231	2645.71
6	-do-	652688550	9901.05
		योग	**1998654.56**

(विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न)

6 पंचायत के खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.19 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता

"ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को पंचायत निधि स्वः संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" में अर्जित ब्याज की ₹18537 को खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया था। उपरोक्त वर्णित ब्याज की राशि को ब्यौरा निम्न तालिकानुसार हैः–

अनुदान का नाम
बी0आर0जी0एफ0

माह	**अर्जित ब्याज**
09/2014	2690
03/2015	6387
09/2015	3434
03/2016	1860
05/2016	77
08/2016	886
09/2016	1122
11/2016	779
12/2016	287
03/2017	1015
कुल	**18537**

अतः इस अनियतिता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए खाता "ख" में अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारताः–

ग्राम पंचायत वासनी को गत तीन वर्षों में स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वः स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण गृहकर व अन्य करों की समय पर वसूली न करना है क्योंकि पंचायत ने पिछले कई वर्षों से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित नहीं की है क्योंकि इन करों/शुल्कों से सम्बन्धित निर्धारित दरें अंकेक्षण द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की गई। सचिव ग्राम पंचायत वासनी द्वारा उनके पत्र क्रमांक जी0पी0वा0–34/17 दिनांक 10.7.2017 द्वारा उपलबध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्न तालिका में दर्शाई गई दरों से की गई है।

क्र0सं0	विवरण	दरें (शुल्क/कर)
1	विवाह पंजीकरण शुल्क (बी0पी0एल0)	25
2	विवाह पंजीकरण शुल्क (अन्य)	200
3	जन्म पंजीकरण	10
4	जन्म प्रमाण पत्र प्रारूप–5	10
5	जन्म प्रमाण पत्र प्रारूप–6	10
6	परिवार नकल/परिवार छायाप्रति	10
7	पशु पंजीकरण शुल्क	10
8	अपर्याप्तता प्रमाण पत्र	10
9	सम्पत्ति कर	50 प्रति वर्ष
10	मोबाईल टावर फीस	2000 प्रति वर्ष

अतः उक्त दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारित कर तदानुसार ही इन करों व शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

8 गृहकर के रूप में ₹0.37 लाख की वसूली शेषः–

ग्राम पंचायत वासनी के सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या जी0पी0ऑडिट/पच्छाद/वासनी /2017–18–1 दिनांक 6.7.2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक जी0पी0डब्लू–34/17 दिनांक 10.7.2017 द्वारा गृहकर के बारे में जो सूचना के बारे में सूचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31.3.2017 को गृहकर के रूप में ग्राम पंचायत वासनी को ₹26370 की वसूली शेष बनाई गई। जबकि उपरोक्त पत्र के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान पंचायत में पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या के अनुसार ₹50 प्रति परिवार प्रतिवर्ष के हिसाब से उक्त अवधि मे गृहकर की निम्न तालिकानुसार ₹37380 वसूली योग्य शेष बनती है।

वर्ष	पंजीकृत परिवार	प्रतिवर्ष दर (₹)	गृहकर की वसूली योग्य कुल राशि (₹)	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (₹)	गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि (₹)
2014–15	444	50	22200	7800	14400
2015–16	448	50	22400	18310	4090
2016–17	429	50	21450	2560	18890
		कुल योग	**66050**	**28670**	**37380**

परन्तु अंकेक्षण के दौरान उक्त कर की वसूली सें सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख/दस्तावेज, जैसे गृहकर से सम्बन्धित (मांग एवम प्राप्ति रजिस्टर) जिससे उक्त शुल्क की वसूली योग्य शेष राशि का सही पता लगाया जा सके। अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनुसार गृहकर के रूप में ₹37380 वसूली योग्य शेष बनती है जिसकी वसूली हेतु शीघ्र अतिशीघ्र उचित पग उठाये जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए

9 मोबाईल टावर फीस की ₹6000 की बकाया राशिः–

ग्राम पंचायत वासनी के सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या जी0पी0ऑडिट/पच्छाद/वासनी/2017–18–1 दिनांक 6.7.2017 के क्रम संख्या (2) के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक जी0पी0डब्लू–34/17 दिनांक 10.7.2017 द्वारा जो सूचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31.3.2017 को माबाईल टावर (बी0एस0एन0एल0) से तीन वर्ष का नवीनीकरण शुल्क ₹6000 (₹2000 प्रतिवर्ष) बकाया दर्शाई गई है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान उक्त मोबाईल टावर को पंचायत क्षेत्र में स्थापित करने की सही तिथि/वर्ष के बारे में अंकेक्षण को कोई भी सूचना प्रदान नहीं की गई जिसकी वजह से बी0एस0एन0एल0 कम्पनी से स्थापना शुल्क और नवीनीकरण शुल्क के रूप में पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली कुल आय की बकाया राशि का सही आकलन करना सम्भव नहीं था। अतः उपरोक्त शुल्क का निर्धारित प्रभावी दरों के हिसाब से आकलन करके उसे उक्त संस्था से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

10 अनुदान ₹18.61 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "क" पर** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदानों से प्राप्त राशि में से ₹1861025 उपयोग हेतु शेष थी ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणन धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित रहना पड़ा। अतः अनुदानो की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.85 लाख स्टोर/स्टॉक का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधिक है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50000 के कम राशि के क्रय हेतु निविदाएँ आमन्त्रित किया जाना तथा ₹50000 से अधिक राशि के क्रय हेतु टेंडर आमन्त्रित किए जाने के बाद ही क्रय किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके। परन्तु पंचायत द्वारा नियमानुसार निविदाएँ व टैंडर आमन्त्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया जा रहा है, जोकि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

उपरोक्त नियम के नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पचांयत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदाएँ/टेंडर आमन्त्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने की प्रावधान है परन्तु चयनित मासों में व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार के क्रय हेतु न तो उप समिति का गठन किया गया और न ही कोई निविदाएँ/टेंडर प्राप्त किए गए है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येंक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों कि अवहेलना कर पंचायत द्वारा चयनित मासों में ₹185307 का क्रय/व्यय किया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका अनुसार हैः–

क्र0सं0	विक्रेता का नाम	बिल संख्या	क्रय की गई सामग्री	राशि (₹)
1	संजय स्टोर सरांहा	961/7.10.15	44 प्लाई 6x3mm@ 540	27027
2	–यथोपरि–	962/7.10.15	20 क्विंटल सरिया @ 4000	84000
3	आर0के0 गुडस	53/26.10.15	300 फुट रेत	13500
4	शर्मा इलैक्ट्रिकल्स ओच्छघाट	70/6.10.15	इलेक्ट्रिकल मेटेरियल	10780
5	जालंधर स्पोर्टस	74/19.10.15	स्पोर्टस किट	50000
			कुल योग	**185307**

12 जे0सी0बी0 चार्जिज का ₹2.10 लाख का अनियमित भुगतानः–

ग्राम पंचायत वासनी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु जे0सी0बी0 को प्रति घंटे के आधार पर

किराये पर लेकर ₹210000 का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5) (a) व (b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है। जबकि नियम 67 (3) के अनुसार उक्त कार्यों हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमन्त्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे0सी0बी0 को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

इसके अतिरिक्त जे0सी0बी0 द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिनकी अनुपस्थिति में जे0सी0बी0 चार्जिज का लाखों का भुगतान तर्कसंगत व उचित था नहीं कहा जा सकता। बिना किये गये कार्य के आंकलन के भुगतान करना नियमानुसार अनुचित है। अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे0सी0बी0 द्वारा करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकेदारों को जे0सी0बी0 चार्जिज का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियाँ नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बन्धित ठेकेदारों से निम्न वर्णित संवैधानिक कटौतियाँ की जानी वान्छित थी।

(क) आयकर 2**%**

(ख) सेल्स टैक्स 3**%**

(ग) प्रतिभूति राशि 10**%**

(घ) लेबर सेस 1**%**

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे0सी0बी0 चार्जिज का ₹210000 के अनियमित भुगतान का विवरणः—

क्र0सं0	**फर्म/ठेकेदार का नाम**	**बिल संख्या/दिनांक**	**कार्य के घंटे**	**दर प्रति घंटा**	**कुल भुगतान**
1	एस0टी0संस0	90/13.10.15	40	750	30000
2	—यथोपरि—	93/28.10.15	40	750	30000
3	श्री विजय शर्मा	626/17.10.15	200	750	150000
				कुल अदायगी	**210000**

13 ₹2.16 लाख की क्रय की गई मदों की भण्डार रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत वासनी के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमानुसार अपेक्षित थी। पंचायत के व्यय की जाँच हेतु चयनित मासों में क्रय की गई निम्न मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है

क्र0सं0	विक्रेता का नाम	बिल संख्या/दिनांक	क्रय की गई सामग्री	राशि (₹)
1	संजय स्टोर संराह	961/7.10.15	44 प्लाई 6x3mm@ 540	27027
2	—यथोपरि—	962/7.10.15	20 किवंटल सरिया @4000	84000
3	आर0के0 गुडस	53/26.10.15	300 फुट रेत	13500
4	शर्मा इलैक्टिरकल्स	70/6.10.15	इलेक्ट्रिकल मेटेरियल	10780
5	जालंधर स्पोर्टस	74/19.10.15	स्पोटस किटस	50000
6	स्टेट सिविल सप्लाई, संराहा	CSH-048-01986/ 15.3.17	सीमेंट 114 बैग @ 273.17	31141
			कुल राशि	**216448**

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए।

14 सक्षम प्राधिकारी व तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना मस्टर रोल्स की ₹4.27 लाख का भुगतानः—

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मस्टर रोल्स द्वारा किये गये ₹427350 के भुगतान को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही माप पुस्तिका में इनकी प्रविष्टि की गई थी। जिस कारण इन मस्टर रोल्स द्वारा किये गये भुगतान सही थे अथवा नहीं तथा भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनका आकलन व मूल्यांकन कर लिया गया था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः भविष्य में मस्टर

रोल्स की अदायगी से पूर्व उन्हें सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित/मूल्यांकित करने तथा सतर्कता समितियों द्वारा कार्य के सही एवम पूर्ण होने बारे सत्यापित करने के उपरान्त ही उनके की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त उक्त मस्टर रोल्स को न तो बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया था, और न ही भुगतान करने से पूर्व इन में से अधिकतर को पंचायत प्रधान और सचिव के द्वारा सत्यापित व पारित किया गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 48 व 49 की अवहेलना है। अतः इन अनियमितताओं के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इन कार्यों की प्रविष्टि माप पुस्तिका में दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए। तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना`स आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए। उपरोक्त वर्णित ₹427350 के मस्टर–रोल्स का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

15 बिलों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित व पारित करवाए बिना ₹11.29 लाख का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ₹1128567 के बिल वाउचर पर विकास कार्य का नाम, स्कीम/अनुदान का नाम, प्रस्ताव संख्या जिस द्वारा उक्त भुगतान की अदायगी को पंचायत द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई को अंकित नहीं किया गया था और न ही उक्त बिलों को बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त भुगतान करने से पूर्व बिलों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित व पारित भी नहीं किया गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम (7) (47) (48) व (49) के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः उक्त बिलों/व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त कर नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन करना भी सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त वर्णित बिलों का विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न है।

16 मनरेगा की रोकड़ बही को संधारित न करनाः–

ग्राम पंचायत वासनी की मनरेगा (महात्म गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा की रोकड़ बही को 31.3.2017 तक पूर्ण नहीं किया गया है। योजना में स्वीकृत अनुदान की राशियाँ व व्यय भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन–लाईन होने के कारण स्वीकृत राशियों व व्यय की राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जा रहा है। जिस कारण अंकेक्षण अवधि में उक्त योजना में कितनी अनुदान राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि का व्यय

भुगतान शेष है का पूरा विवरण/ब्यौरा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः मनरेगा के अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदान व्यय भुगतान का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

17 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत की आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

18 सावधि जमा में राशि का निवेश न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेशित नहीं की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेशित कर पंचायत के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना करते हुए अधिशेष (Surplus Funds) राशि को सुनियोजित तरीके से निवेश कर ग्राम पंचायत निधि के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेंक्षित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र व उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय की माप पुस्तिकाओं के अनुसार जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही उन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

G.P. Vaasni

20 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुकों पर उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशानुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त रसीद बुकों को उपयोग भी क्रमवार तरीके से नहीं किया जा रहा था पंचायत सचिव द्वारा दो रसीद बुकों, रसीद बुक संख्या 1669 व 2133 को एक साथ उपयोग में लाया गया है जबकि नियमानुसार एक रसीद बुक के समाप्त होने के उपरान्त ही दूसरी रसीद बुक को उपयोग में लाया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

21 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय का भुगतानः–

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य चौकीदार, पशुचिकित्सक सहायक, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका व पानी आपूर्ति सहायक आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि से किया गया है। परन्तु मानदेय की सरकार द्वारा अनेमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था जिस कारण मानदेय भुगतान की सही दरो ंकी पुष्टि नहीं हो सही। अतः मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाये।

22 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(i) अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
(ii) रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
(iii) चैक जारी करने का रजिस्टर
(iv) चल अचल सम्पत्ति का रजिस्टर
(v) आकस्मिक व्यय रजिस्टर
(vi) चैक प्राप्ति रजिस्टर
(vii) अग्रिमों का रजिस्टर
(viii) रसीद बुकों का रजिस्टर
(ix) प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
(x) मांग व प्राप्ति रजिस्टर

23 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 लघु आपत्ति विवरणिकाः—

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से सत्यापित व पारित नहीं किया गया है जबकि पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमे विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii) पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7 को अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा सम्बन्धित व्यय को पारित किये जाने की प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का सख्ती से पालन किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

G.P. Vaasni

25 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार की आवशयकता है।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(10) 9/2017—खण्ड—1—7260—7263 दिनाँक 23.12. 2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर जिला सिरमौर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत वासनी विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881